न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/9 **दायरा दिनांक : 09.01.2023**

उनवान

1– श्रीमति सीमा शर्मा विधवा पत्नि श्री रघुनन्दन जी, जाति ब्राहमण
2– हर्षित शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन जी शर्मा, जाति ब्राहमण
निवासीगण छैला बेल, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकरण पुत्र श्री मदनलाल जी, जाति ब्राहमण
2– श्रीमति हेमलता बाई विधवा पत्नि श्री सत्यनारायण जी, जाति ब्राहमण
3– चेतन उर्फ सोनू पुत्र श्री सत्यनारायण जी, जाति ब्राहमण
4– कपिल पुत्र श्री सत्यनारायण जी जाति, ब्राहमण
5– हितेष पुत्र श्री सत्यनारायण जी जाति, ब्राहमण
6– वैभव पुत्र श्री रघुनन्दन जी, जाति ब्राहमण
निवासीगण ग्राम छैला बैल, तहसील अटरू, जिला बारां
7– श्रीमति गिरजा बाई पुत्री श्री सत्यनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम किशोरपुरा, तहसील सुल्तानपुर, जिला कोटा
8– दी स्टेट आफ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 22.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 99/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 6 एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम खुरी, तहसील अटरू, जिला बारां में वादीगण व प्रतिवादी कमांक 2 ता 6 के दादा/ससुर व प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 रामकरण पुत्र श्री मदन लाल के खाते में आराजी वर्तमान खाता सं0 288 की पुराना 267 खसरा नंबर 691 रकबा 1.28 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 15.36 रूपया, खसरा नंबर 776 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 0.36 रूपया, खसरा नंबर 777 रकबा 4.51 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 54.12 रूपया, खसरा नंबर 1074 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.80 रूपया, खसरा नंबर 1083 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.48 रुपया, खसरा नं० 1112 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म माल द्वितीय लगानी 150 रूपया, खसरा नंबर 1169 रकबा 1.35 हेक्टर, किस्म माल द्वितीय लगानी 13.50 रूपया, खसरा नंबर 1756/778 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 2.40 रूपया कुल 8 किता रकबा 7.60 हेक्टर स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कमांक 1 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात पुश्तेनी व पैतृक आराजियात है जिसमें वादीगण का पैदाईशी हक व हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2022 से ग्राम खुरी की विवादित आराजी खाता संख्या 288 की कुल किता 8 कुल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 7.60 है0 भूमि के सम्बन्ध में पेश वादीगण का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद बाबत हक घोषणा, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण रेस्पो० खारिज करने में त्रुटि की है। वाद पत्र में वर्णित समस्त भूमि श्री रामकरण जी को उनके पिता श्री मदनलाल जी से प्राप्त हुई है। इस भूमि में उनके पुत्रों का भी समान हक होने से अन्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण का भी हक बनता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी डिक्री फरमाना चाहिये था। सम्पूर्ण भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण भूमि में श्री रामनारायण जी के 1/3 हिस्सा, श्री सत्यनारायण जी का 1/3 हिस्सा एवं श्री रघुनन्दन जी का 1/3 हिस्सा बनता है। श्री सत्यनारायण जी का देहावसान होने के कारण उनके वारिसान का 1/3 हिस्सा एवं श्री रघुनन्दन जी का भी देहावसान होने के कारण उनके वरिसान का 1/3 हिस्सा बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का भूमि में 1/3 हिस्सा होना मानकर वादीगण का वाद डिक्री करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को समझे बिना ही दावा वादीगण खारिज करते हुये निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वादी वैभव अपील करने नहीं आ सका इसलिये उसे प्रफोर्मा रेस्पो० नं0 6 बना कर यह अपील पेश की है। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जाकर दावा वादीगण अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 6 खिलाफ प्रतिवादीगण रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 एवं 7 मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे।

4 अपील के साथ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 27 जाप्ता दीवानी पेश कर रेकार्ड में लेने की प्रार्थना की–

(क) यह कि उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

(ख) यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है, जो पूर्व में श्री रामकरण जी के पिता श्री मदनलाल जी के खाते में थी। इस कथन की पुष्टि में निम्न दस्तावेजात पेश है–

(I) नकल जमाबंदी सैटलमेन्ट सम्वत 2013 से 2032 ग्राम खुरी, तहसील अटरू खातेदार श्री मदनलाल आ0 श्री हरदेव जी ब्राहमण

(II) नकल जमाबंदी ग्राम खुरी, तहसील अटरू 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2001 खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन

(III) नकल जमाबंदी ग्राम खुरी, तहसील अटरू 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2001 खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन

(IV) मिलान क्षेत्रफल ग्राम खुरी, तहसील अटरू सम्वत 1989 से 2009

(ग) यह कि उपरोक्त दस्तावेजात काफी तलाश करने के उपरान्त भी पूर्व में प्राप्त नहीं हो सके थे इसलिये अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये जा सके।

(घ)– यह कि उपरोक्त दस्तावेजात राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं जिनके फर्जी होने की कोई संभावना नहीं है तथा मुकदमे के समुचित निर्णय के लिये इनको पेश करना आवश्यक है।

5 अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने एवं शहादत में पढ़े जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

6 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अपील के साथ प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई। आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2007 (1) डी.एन.जे. (राज0) पेज 68 एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 सैक्शन 53–54 पेज 283 (परिपत्र राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप (6) विभाग क्रमांक प.5(27)राज/6/93/11 दिनांक 17.10.94) की दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

8 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने ससुर रामकरण के खाते की खाता सं0 288 का पुरानाखाता संख्या 267 खसरा नंबर 691 रकबा 1.28 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 15.36 रूपया, खसरा नंबर 776 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 0.36 रूपया, खसरा नंबर 777 रकबा 4.51 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 54.12 रूपया, खसरा नंबर 1074 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म बारानी उत्तम लगानी 0.80 रूपया, खसरा नंबर 1083 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म बारानी उत्तम लगानी 0.48 रुपया, खसरा नं० 1112 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म माल द्वितीय लगानी 150 रूपया, खसरा नंबर 1169 रकबा 1.35 हेक्टर, किस्म माल द्वितीय लगानी 13.50 रूपया, खसरा नंबर 1756/778 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 2.40 रूपया कुल 8 किता रकबा 7.60 हेक्टर भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए अपने ससुर की भूमि में से स्वयं एवं अपने दो पुत्र हर्षित एवं वैभव पुत्र रघुनन्दन को 1/3 हिस्सा घोषित करने का दावा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पारिवारिक शजरे के अनुसार रामकरण के वारिसान में दो पुत्र, रघुनन्दन (फौत), सत्यनारायण (फौत), व पुत्री गिरजा बाई हैं। इस प्रकार वादिया का दावा 1/3 हिस्से पर ना होकर 1/4 हिस्से का होगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2022 के अनुसार वादिया सीमा शर्मा पत्नी रघुनन्दन अपने पति की हत्या के आरोप में प्रकरण संख्या 27/2007 में माननीय सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रेक) बारां के आदेश से सजायाप्ता है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार हत्या के सजायाप्ता वादिया विवादित आराजी में मृतक पति रघुनन्दन के हिस्से में कोई हक व अधिकार नहीं रखती है। अपीलांट के बड़े पुत्र वैभव द्वारा भी पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की है। केवल छोटे पुत्र हर्षित द्वारा वादिया अपीलांट के साथ अपील प्रस्तुत कर आराजी में अपना हिस्सा चाहा गया है।

9 अपील के साथ नकल जमाबंदी संवत 2013–2032 की प्रति पेश की जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 208 रकबा 59 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 927 रकबा 8.17 बीघा, खसरा नम्बर 940/960 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 79.01 बीघा वादिया के ससुर रामकरण के पिता मदनलाल वल्द हरदेव, जाति ब्राहमण के खाते दर्ज थी। अपील के साथ प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा न0 208 रकबा 59.14 बीघा के हाल खसरा न0 776 रकबा 0.03 हे0, खसरा न0 777 रकबा 4.51 हेक्टर, खसरा न0 778 रकबा 4.90 हे0, साबिक खसरा न0 310 रकबा 8.06 बीघा के हाल खसरा न0 1169 रकबा 1.35 हे0, साबिक खसरा न0 387 रकबा 0.03 बीघा के हाल खसरा न0 1074 रकबा 0.05 हे0 बने है। अपील के साथ संलग्न मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा न0 385 रकबा 0.06 बीघा, साबिक खसरा न0 927 रकबा 8.17 बीघा, साबिक खसरा न0 940/960 रकबा 1.15 के हाल खसरा न0 की वर्तमान जमाबंदी की नकल प्रस्तुत नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतू स्वतंत्र होगें।

10 अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार अपने श्वसुर/दादाजी रामकरण के खातें की भूमि में से हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 1.28 हेक्टर, साबिक खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 8 बीघा हाल खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.03 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 382 रकबा 0.03 बीघा हाल खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.15 हेक्टर साबिक खसरा नम्बर 405 मिन अपीलांट के श्वसुर/दादाजी के में दर्ज है परन्तु यह भूमि अपीलांट के श्वसुर/दादाजी के पिता मदनलाल के खाते में दर्ज रही हो इसे सिद्व करने के लिये अपीलांट के द्वारा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित नहीं होना पाया जाता है कि यह पैतृक सम्पत्ति है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त खसरा नम्बरान् को पैत्क संपत्ति साबित करने के संबंध में यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू प्रस्तुत कर सकता है।

11 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2013 से 2032, संवत् 1989 से 2001 व मिलान क्षेत्रफल संवत् 1989 से 2009 के अनुसार अपीलांट के श्वसुर/दादाजी के खाते की भूमि हाल खसरा नम्बर 776, 777, 778, 1169, 1074 जिसके साबिक खसरा नम्बर 208, 310, 387 है, पैतृक सम्पत्ति होना प्रथम दृष्ट्या प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट होता है।

12 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादिया के छोटे पुत्र हर्षित का प्रथम दृष्ट्या पैरा संख्या 11 में अंकित पैतृक सम्पत्ति में नियमानुसार हिस्सा निहित होने के कारण स्वंय को खातेदार घोषित कराने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर दो माह में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा